प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास नवीनीकरण मिशन' की मार्च, 2012 तक के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन, अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 के बीच, शहरी विकास मंत्रालय, शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा 25 राज्यों तथा 5 केन्द्रशासित प्रदेशों की विभिन्न एजेंसियों के अभिलेखों की जाँच के द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा में 2005–06 से 2010–11 के समयकाल को लिया गया।